रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 218] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 15, 2009/चैत्र 25, 1931
No. 218] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 15, 2009/CHAITRA 25, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 251(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 605क, के साथ पठित धारा 642 की उपधारा (1) खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गमन) नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गमन) (दूसरा संशोधन) 2009 है ।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कंपनी (भारतीय निक्षेपागार रसीदों का निर्गमन) नियम, 2004 में, जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है, की अनुसूची के पैरा 6 में,-

(क) उपपैरा (i) के खंड (क) में "और वित्तीय प्रास्थिति" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपपैरा (i) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,-

"(ख) उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि जो कि निर्गम प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व 180 दिन से कम है, की बाबत अंतिरम संपरीक्षित वित्तीय विवरण यदि खंड (क) के अधीन प्रकटित अद्यतन संपरीक्षित वित्तीय विवरणों की अंतिम तारीख और निर्गम प्रारंभ करने की तारीख के बीच अंतर एक सौ अस्सी दिन से अधिक है :

परंतु यदि नवीनतम संपरीक्षित वित्तीय विवरण की ऐसी तारीख और निर्गम प्रारंभ करने की तारीख के बीच अंतर एक सौ अस्सी दिन या उससे कम है तो खंड (ख) के अधीन अपेक्षा का अनुपालन किया जाना समझा जाएगा यदि कोई विवरण सेबी द्वारा ऐसे अंतर के लिए निर्गमन कंपनी की वित्तीय प्रास्थिति में परिवर्तनों की बाबत प्रास्पेक्टस में प्रकटित किया जाता है, विनिर्दिष्ट किया जाए ।";

(ग) उपपैरा (i) में विद्यमान परंतुक के स्थान में निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

परंतु यह और कि ऐसे निर्गमन करने वाली कंपनी की दशा में जो भारत से बाहर निगमित विदेशी बैंक है या जिसको अंतरराष्ट्रीय निपटारे के लिए बैंक के किसी सदस्य या अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोगों के संगठन के किसी सदस्य जो भारत के साथ बचनबद्धता के बहुपक्षीय ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है, द्वारा विनियमित किया जाता है, इस पैरा के अधीन अपेक्षा उस अवधि की बाबत जो अवधि की अंतिम तारीख के साथ आरंभ होती है, जिसके लिए अद्यतन संपरीक्षित वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं और निर्गमन को प्रारंभ करने की तारीख का समाधान किया जाएगा, यदि सुसंगत वित्तीय विवरण ऐसे कानूनी संपरीक्षक की सीमित पुनर्विलोकन रिपोर्ट पर आधारित हैं ।";

(घ) उपपैरा (ii) के खंड (क) में "कार्य" शब्दों के स्थान पर "विवरण" शब्द रखा जाएगा ;

(ङ) उपपैरा (ii) में, खड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि जो कि निर्गम प्रारंभ करने की तारीख से पूर्व 180 दिन से कम है, कि बाबत अंतिरम वित्तीय विवरण यदि खंड (क) के अधीन प्रकटित अद्यतन संपरीक्षित वित्तीय विवरणों की अंतिम तारीख और निर्गम प्रारंभ करने की तारीख के बीच अंतर एक सौ अस्सी दिन से अधिक है :

परंतु यदि नवीनतम संपरीक्षित वित्तीय विवरण की ऐसी तारीख और निर्गम प्रारंभ करने की तारीख के बीच अंतर एक सौ अस्सी दिन या उससे कम है तो खंड (ख) के अधीन अपेक्षा का अनुपालन किया जाना समझा जाएगा यदि कोई विवरण सेबी द्वारा ऐसे अंतर के लिए निर्गमन कंपनी की वित्तीय प्रास्थिति में परिवर्तनों की बाबत प्रास्पेक्टस में प्रकटित किया जाता है, विनिर्दिष्ट किया जाए ।

[फा. सं. 1/2/2001-सी.एल.-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र में सा.का.नि. 131(अ) तारीख 23.02.2004 द्वारा प्रकाशित किए गए और सा.का.नि. सं. 480(अ) तारीख 11.07.2007 तथा सा.का.नि. सं. 35(अ), तारीख 19.01.2009 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 2009

G.S.R. 251(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 642 read with section 605A of the Companies Act, 1956, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004, namely:-

1. (1) These Rules may be called the Companies (Issue of Indian Depository Receipts) (Second Amendment) Rules, 2009.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Issue of Indian Depository Receipts) Rules, 2004, hereinafter referred to as the principal rules, in the Schedule, in para 6, -

(a) in sub-paragraph (i), in clause (A), the words "and financial status" shall be omitted;

(b) in sub-paragraph (i), for clause (B), the following shall be substituted, namely:-

"(B) the interim audited financial statements in respect of the period ending on a date which is less than 180 days prior to the date of opening of the issue, if the gap between the ending date of the latest audited financial statements disclosed under clause (A) and the date of the opening of issue is more than 180 days:

Provided that if the gap between such date of latest audited financial statements and the date of opening of issue is 180 days or less, the requirement under clause (B) shall be deemed to be complied with if a statement, as may be specified by SEBI, in respect of changes in the financial position of issuing company for such gap is disclosed in the Prospectus.";

(c) in sub-paragraph (i), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided further that in case of an Issuing company which is a foreign bank incorporated outside India and which is regulated by a member of the Bank for International Settlements or a member of the International Organization of Securities Commissions which is a signatory to a Multilateral Memorandum of Understanding with India, the requirement under this paragraph, in respect of period beginning with last date of period for which the latest audited financial statements are made and the date of opening of issue shall be satisfied, if the relevant financial statements are based on limited review report of such statutory auditor.";

(d) in sub-paragraph (ii), in clause (A), for the word 'affairs', the word 'statements' shall be substituted;

(e) in sub-paragraph (ii), for clause (B), the following shall be substituted, namely:-

"(B) the interim financial statements in respect of the period ending on a date which is less than 180 days prior to the date of opening of the issue, if the gap between the ending date of the latest financial statements disclosed under clause (A) and the date of the opening of issue is more than 180 days:

Provided that if the gap between such date of latest audited financial statements and the date of opening of issue is 180 days or less, the requirement under clause (B) shall be deemed to be complied with if a statement, as may be specified by SEBI, in respect of changes in the financial position of the issuing company for such gap is disclosed in the Prospectus.

[F. No. 1/2/2001-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published vide G.S.R. 131(E) dated 23.02.2004 and amended vide GSR 480(E) dated 11.07.2007 and GSR 35(E) dated 19.01.2009.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.